लोकमित्र - बाल सुरक्षा नीति

Child Protection Policy of LOKMITRA

1. लोकमित्र संस्था में बाल सुरक्षा नीति का संदर्भ

लोकमित्र शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन के रुप में देखता है। लोकमित्र एक ऐसे समाज की संकल्पना करता है जो न्याय एवं समानता के मूल्य पर आधारित हो। जहाँ दलित वंचित वर्ग के लोग, विशेष कर महिलाओं एवं बच्चों को हको को सर्वोपरी माना जाता हो। बच्चों को समाज की धरोहर माना जाता हो। इनकी शिक्षा एवं विकास को महत्वपूर्ण मानते हुए इन्हें बेहतर अवसर एवं माहौल दिया जाता हो।

लोकमित्र सरकारी स्कूलों के माध्यम से सभी बालक एवं बालिकाओं की बेहतर शिक्षा एवं बहुमुखी विकास के लिए उत्तर प्रदेश में बहुआयामी एवं बहुस्तरीय प्रयास कर रहा है। स्कूल बाहर दलित व मुस्लिम वर्ग के किशोर-किशोरियों की शिक्षा और विकास के लिये आवासीय, गैर आवासीय एवं कोचिंग के अवसर प्रदान करता है जिससे कि उनकी स्कूली शिक्षा पूरी हो पायें। लोकमित्र इस मान्यता के आधार पर कार्य करता है कि सभी बच्चों के सीखने के अधिकार को सुनिश्चित कराना सभी व्यस्कों की जिम्मेदारी है तथा बच्चों का अधिकार है।

मानव अधिकार घोषणा पत्र के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, संरक्षण एवं अपनी बात कहने की स्वतंत्रता का अधिकार है। बाल अधिकार घोषणा पत्र के अनुसार सभी बच्चों को प्यार पाने का अधिकार है। सभी बच्चों को नाम, पहचान एवं राष्ट्रीयता पाने का अधिकार है। बच्चों को मारपीट, डाट-फटकार और बुरे व्यवहार से सुरक्षा पाने का अधिकार है। बच्चों को अपने उचित विकास के लिए सुविधा एवं संरक्षण पाने का अधिकार है। प्रत्येक बच्चे को बिना किसी भेदभाव के स्वास्थ्य सुविधाएं पाने का अधिकार है। हर बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार है। बच्चों को शोषण रहित जीवन जीने का अधिकार है। उन्हें यह अधिकार है कि हर प्रकार के शोषण से उनको दूर रखा जाए। शिक्षा अधिकार कानून 2009 में भी मानसिक एवं शारीरिक उत्पीड़न रहित वातावरण में शिक्षा एवं विकास की बात की गई है।

समाज में बच्चों के हकों के प्रति सामाजिक एवं सामूहिक मूल्य न होने से कई बार बच्चों को शोषण की स्थिति से गुजरना पड़ता है। जिससे उनका सहज विकास नहीं हो पाता है। लोकमित्र बच्चों की शिक्षा एवं विकास से जुड़ा है। अतः प्रत्येक बच्चें को सीखने एवं विकास का उपयुक्त मिलें इसके लिए बाल सुरक्षा नीति का समर्थन करता है।

2. हमारे मूल्य

- बच्चे हमारे धरोहर है। इनके हकों का संरक्षण हमारा सामाजिक मूल्य है।
- बच्चों के समक्ष एवं इनके साथ ऐसा कोई भी आचरन नहीं करना जिससे इनका विकास अवरुद्ध हो।
- बच्चों के साथ हो रहे किसी प्रकार का अनुपयुक्त व्यवहार का विरोध करना।
- हरेक स्तर पर बाल सुरक्षा पद्धतियों व व्यवहारों के अनुरुप आचरण को बढ़ावा देना।
- हम बच्चों के साथ मानसिक एवं शारिरिक शोषण के खिलाफ हैं। सभी बच्चों को बड़ों व शिक्षकों का स्नेह मिलना उनका अधिकार है।

3. लोकमित्र बाल सुरक्षा नीति का उद्देश्य

- संस्था के सम्बंधित कार्यस्थल से जुड़े बालक-बालिकाएं तथा किशोर-किशोरियों के शिक्षा एवं विकास के लिए खुशनुमा सम्मानयुक्त एवं सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना। भय-दंड मुक्त माहौल देना जहाँ मानसिक एवं शारीरिक शोषण न हो।
- सरकारी स्कूलों में शिक्षक एवं स्कूल प्रबंध समिति के माध्यम से बाल सुरक्षा वातावरण को बढ़ावा देना। शिक्षकों को स्कूल में बाल सुरक्षा नीति बनाने व लागू करने के लिए संवेदित करना।

4. नीति का दायरा

- संस्था के सभी स्थायी, अस्थायी महिला एवं पुरुष कार्यकर्ता नीति के पालन करने के लिए कटिबद्ध होंगे।
- संस्था में विजिट करने आये अतिथि जैसे कि दाता संस्थाओं के प्रतिनिधि, सलाहकार, आंगतुक, शिक्षण संस्थाओं से आये विद्यार्थी व प्रशिक्षु, वोलंटियर, अभिभावक, शिक्षक एवं संस्थाओं के प्रतिनिधि।
- संस्था के कार्यालय, शिक्षा केन्द्र, आवासीय शिक्षा शिविर, स्कूल एवं बच्चों की बैठक व कार्यक्रम, शैक्षणिक भ्रमण, शैक्षिक सहयोग के स्थान और उन सभी जगहों पर जहाँ कि कार्यकर्ताओं का बच्चों से संपर्क होता है, वहां संस्था के कार्यकर्ताओं के माध्यम से बाल सुरक्षा नीति का पालन किया जाएगा।

5. नीति के तहत हमारे उत्तरदायित्व

- बालक-बालिकाओं के उचित विकास के लिए उनके बौद्धिक, मानसिक, नैतिक, शारिरिक विकास के लिए सभी उचित प्रयास करना।
- संस्था द्वारा सम्बंधित कार्यस्थलों पर जिम्मेदार घटकों के माध्यम से बाल सुरक्षित वातावरण को बढ़ावा देना। संस्था द्वारा संचालित सभी आवासीय कैम्प, शिक्षा केन्द्रों, ज्ञान विज्ञान केन्द्र एवं कोचिंग पर सभी किशोर-किशोरियों को सीखने का दंड-भय मुक्त बेहतर माहौल उपलब्ध कराना।
- कार्यकर्ताओं के माध्यम से बच्चों को उपयुक्त माहौल प्रदान करने हेतु बाल सुरक्षा नीति की जानकारी एवं बेहतर व्यवहार को प्रोत्साहित करना। कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण के माध्यम से बाल अधिकारों एवं बाल सुरक्षा नीति के प्रति सजग करना।
- शिक्षकों को बाल अधिकारों के प्रति संवेदित करना एवं इन्हें भय-दंड मुक्त वातावरण में कार्य करने हेतु कार्यविधी बताना एवं आवश्यक सलाह देना। इन्हें प्रेरित करना कि बच्चों को डाँट फटकार, शारीरिक दण्ड के स्थान पर मित्रवृत व्यवहार करें एवं बच्चों में भी कहानी, अवधारणा, उद्धरण के माध्यम से उचित व्यवहार को प्रोत्साहित करें।
- कार्यक्षेत्र के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों एवं स्कूल प्रबंध समिति को इस नीति के अनुपालन के लिए प्रोत्साहित करना।
- स्कूलों में बालमंच का गठन एवं इनकी नियमिति बैठक को प्रोत्साहित करना ताकि स्कूल का माहौल व बच्चों की चिंताओं बारें चर्चा हो सकें।
- आवासीय शिविरों में किशोर-किशोरियों को उचित पोषण वाला भोजन उपलब्ध कराना। बीमार होने के स्थिति में प्राथमिक उपचार करना। अभिभावकों को सूचित करना एवं सहमति के आधार पर एमबीबीएस चिकित्सक से परामर्श लेना। नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र या अस्पताल से चिकित्सा सेवा लेना।

Raj

- बच्चों एवं किशोर-किशोरियों में को अपने मौलिक अधिकारों के प्रति सचेत रहने को बढ़ावा देना। इनमें उन सामाजिक मान्यताओं को बढ़ावा देना जिससे कि वे आपस में बराबरी व सम्मानजनक व्यवहार करें। बच्चे अपने परिवारजनो, परिचितों पड़ोसियों, मित्रजनो, बड़े-बूढ़ों के प्रति संवेदनशील हों।
- अन्य किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार के शोषण सम्बंधी आचरण एवं क्रियाकलाप को स्थानीय स्तर के सम्बन्धित संस्था/अधिकारी को मौखिक या लिखित में शिकायत करना।
- लोकमित्र के कार्यस्थल पर संस्था का एक फोन नम्बर सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध कराना जिससे कि बच्चें या बच्चों के अभिभावक अनुपयुक्त माहौल या व्यवहार की शिकायत फोन या एसएमएस द्वारा कर सके।
- बच्चों एवं किशोर-किशोरियों को किसी भी प्रकार की शारीरिक क्षति या नुकसान पहुँचाने वाले का विरोध इस प्रकार से करना कि बच्चों का मान-सम्मान सुरक्षित रहे।
- समयांतराल पर नीति की समीक्षा कर इसे परिष्कृत करना।

6. **बाल सुरक्षा नीति के अन्तर्गत कार्यकताओं के लिए सलाह**

- बच्चों एवं किशोर-किशोरियों के जिज्ञासाओं को सदैव प्रोत्साहित करें। उनके सीखने हेतु भय-दंड मुक्त बेहतर माहौल का निर्माण करें।
- बच्चों के हित में सदैव उचित व स्वस्थ वातावरण का निमार्ण करें और उनकी चिंताओं, अधिकारों व हितों की चर्चा करें। बच्चों के प्रति संवेदनशील व्यवहार करें जिससे कि उनमें अकारण, डर, भय या समाज के प्रति द्वेष न उत्पन्न होने पाए।
- ऐसा व्यवहार या कार्य का प्रदर्शन न करें जिससे किसी बालक-बालिका एवं किशोर-किशोरियों के बीच गलत संदेश जाए, उनके सम्मान को ठेस पहुंचे है, उनके शोषण या हानि की स्थिति निर्मित होती है।
- बच्चों विशेष कर बालिकाओं से आमतौर पर समूह में ही मिलें।
- बच्चों एवं किशोर-किशोरियों के सामूहिक फोटोग्राफ ही लें। किसी कारणवश बच्चों की एकल फोटोग्राफ लेने की जरुरत पड़ती है तो पहले उनकी अनुमति अवश्य लें।
- उपरोक्त के संदर्भ में किसी के द्वारा विपरीत कार्य किये जाने पर विरोध करें।
- बच्चों के शारीरिक शोषण के खिलाफ बोलें और ऐसे सभी प्रकरणों में प्रकाश में लायें।
- अन्य किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार के शोषण सम्बंधी आचरन एवं क्रियाकलाप को स्थानीय स्तर पर सम्बन्धित संस्था/अधिकारी को मौखिक या लिखित में शिकायत करें।

अनुमोदन में प्रबंध कार्यकारिणी के सदस्यों का हस्ताक्षर

MDubey

राजेश कुमार, मुख्य कार्यकारी